GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE
A-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P.ESTATE,
NEW DELHI-110002.

F No.4 (469)/CF/Store/HQ/Advertisement/2012-13/Part File/ 7451 **Dated:** 30/11/2021

PUBLIC NOTICE

Concretization around trees is harmful for root aeration and also for percolation of water. It could lead to untimely death of the tree. It is, therefore, brought to the notice of all Govt. Departments under GNCTD, Municipal Agencies, Corporations, Cantonment board, autonomous bodies, all departments & agencies of Government of India, State Governments and General Public that concretization of trees not only damages the tree, but also is an offence under Section 8 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, and also amounts to violation of Hon'ble NGT's orders.

The area within 1 (one) meter radius of the trunk of trees should be left de-concretized around the base of the tree while constructing the pavements or roads to facilitate percolation of water to the roots. The area should be leveled with soil and grass may be planted, if needed.

All Civic Agencies, Govt. Departments, RWAs & individuals may please ensure removal of all the sign boards, names, advertisements, any kind of boards or signages, electric wires and high tension cables etc. placed on trees within their jurisdiction/ control failing which, a suitable penalty as per rules shall be imposed upon them for causing damage to trees. The person/ agency/ firm/ company etc whose advertisement or bill board etc is found on the trees shall also be prosecuted and/ or a suitable penalty as per rules shall be imposed upon him.

De-concretization should be done around trees which are already concretized, manually without the use of JCB machines etc. so that the roots of trees are not damaged. During laying construction of new roads/ pavements, the Govt. Departments may add a fresh clause in their tender documents that an area within at least 1 meter radius of the trunk of trees shall be left de-concretized/ soil filled.

(Mandeep Mittal)
Deputy Conservator of Forests (P&M)

वन एवं वन्य जीवन विभाग
ए–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली–110002.

F No.4 (469)/CF/Store/HQ/Advertisement/2012-13/Part File/7451 Dated: 30/11/2021

सार्वजनिक सूचना

यदि वृक्षों के चारों ओर पक्का चबूतरा, सीमेंट, टाइल्स इत्यादि हों तो वृक्षों की जड़ों मे जल तथा वायु का संचारण नहीं होता है, यह वृक्षों के लिए हानिकारक हो सकता है। जोकि वृक्ष के सूख जाने का कारण बन सकता है। इसलिए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत सभी सरकारी विभागों, नगरपालिका निकायो, निगमो, कैंटॉन्मेंट बोर्ड, स्वायत्त निकायों, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी विभागों और निकायों तथा आम नागरिकों के संज्ञान मे लाया जाता है कि वृक्षों का कंकरीटीकरण न केवल वृक्षों को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा (8) के तहत एक अपराध भी है, यह माननीय **नेशनल** ग्रीन ट्रिबुनल के **आदेशों** का उल्लंघन भी है।

वृक्षों के तने से 1 मीटर त्रिज्या के भीतर के क्षेत्र को फुटपाथ या सड़कों का निर्माण करते समय, कंकरीट रहित छोड़ा जाना चाहिए। ताकि जड़ों में पानी का परिसंचरण **सुनिश्चित** किया जा सके। यदि **आवश्यकता** हो, तो क्षेत्र को मिट्टी से समतल किया जाना चाहिए और घास भी लगाई जा सकती है।

सभी सिविक एजेंसियाँ, सरकारी विभाग, आर.डब्लू.ए. ओर नागरिक अपने अधिकार क्षेत्र में वृक्षों पर लगी सभी साइन बोर्ड, नाम, विज्ञापन, किसी भी प्रकार के बोर्ड या संकेत, बिजली के तार और उच्च तनाव केबल्स इत्यादि को हटाने को **सुनिश्चित** करें अन्यथा वृक्ष को नुक्सान पहुंचाने के लिए नियमों के अनुसार उपयुक्त दंड लगाया जाएगा। व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/कंपनी इत्यादि जिनके भी विज्ञापन या बिल बोर्ड आदि वृक्ष पर पाए जाते है, उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही की जायेगी और/या नियमों के अनुसार उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

जो वृक्ष पहले ही कंक्रीटकृत हैं उनके आसपास मानविक प्रयास, **मशीन** रहित उपकरणों का उपयोग करके कंकरीट रहित किया जाना चाहिए ताकि वृक्षों की जड़ें क्षतिग्रस्त न हों। नई सड़कों/फुटपाथों के निर्माण के दौरान, सरकारी विभाग अपने निविदा दस्तावेजों (tender documents) में एक नया अनुच्छेद (clause) जोड़ सकते हैं कि वृक्ष के तने से कम से कम 1 मीटर त्रिज्या (radius) के भीतर के क्षेत्र को कंकरीट रहित छोड़ा जाएगा/मिट्टी से भर दिया जाएगा।

(मन्दीप मित्तल)
उप- वन संरक्षक (पी. एंड एम.)